भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5171
(जिसका उत्तर सोमवार, 4 अप्रैल, 2022/14 चैत्र, 1944 (शक) को दिया जाना है)

जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पाद

†5171. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री अजय निषाद:
श्री चन्दन सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पेट्रोलियम और उसके उप-उत्पादों को माल और सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) जीएसटी के दायरे को बढ़ाने के लिए, किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या राज्य सरकारों ने पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए कोई सुझाव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को राजसहायता देने के लिए मानदंड के रूप में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): संविधान के अनुच्छेद 279 क (5) में यह विनिर्दिष्ट है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद उस तारीख की सिफारिश करेगी जिस तारीख से कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (आमतौर पर जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और विमान ट्रबाईन ईंधन (एटीएफ) पर माल एवं सेवा कर लगाया जाना होगा। साथ ही सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 (2) के अनुसार, इन उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने के लिए जीएसटी परिषद के सिफारिश की आवश्यकता होगी। अभी तक जीएसटी परिषद ने, जिसमें राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है, जीएसटी के अंतर्गत इन वस्तुओं को शामिल करने के लिए कोई भी सिफारिश नहीं की है।

(ङ): अभी ऐसी किसी भी योजना का प्रस्ताव नहीं है।

*****